

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 89/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, पुष्कर।
बनाम

.....प्रार्थी

मैसर्स चौधरी टी स्टॉल, मेला स्टेडियम के बाहर, पुष्कर जरिये प्रो० श्री रमेश चौधरी पुत्र श्री गोपाल चौधरी निवासी:- पुष्कर, जिला-अजमेर।अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 31.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.11.2019 को उपखण्ड अधिकारी (मेला प्रभारी) पुष्कर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा चाय नाश्ता बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	246693	HP	16.3kg	22.0 kg	5.7kg	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C), 6 का उल्लंघन है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर दिव्या दिप्ती एन्टरप्राइजेज, पुष्कर के कार्मिक श्री पुष्पेन्द्र पुत्र श्री रंजीत सिंह, निवासी: अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित पैरोकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 06.11.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C), 6 का उल्लंघन है, जो



जिला कलक्टर,
अजमेर

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये। उनके द्वारा जरिये जवाब भी प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन नहीं किया गया है। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.12.2019 को सरे इजलास

लिया गया।



(Signature)
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर